न्यायालय : अवर न्यायाधीश, अरेराज, पूर्वी चम्पारण।
स्वत्व वाद संख्या 43ए/15

प्रस्तुत समक्षः **श्री पंकज कुमार तिवारी**

आदेश

दिनांक 13.01.2025

वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला वादी की तरफ दिनांक 14.11.2024 को आदेश 22 नियम 4 और आदेश 01 नियम 10 व्यवहार प्रकिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के आदेश हेतु निर्धारित है।

वादी ने अपने आवेदन में कहा है कि यह कि मुदालह न0 34 बबुनी देवी अपने वारिसान को छोड़कर मर गयी । ऐसी स्थिति में मुदालह सं0 34 बबुनी देवी का नाम कलमजद करना न्यायहित में आवश्यक है। अतः आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा करें।

प्रतिवादी की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की।

उपस्थित पक्ष को सुना, मामले में अभिलेख का अवलोकन किया। वादी के आवेदन के अनुसार मुदालह सं0 34 बबुनी देवी की मृत्यु हो चुकी है। अतः अर्जीदावी से मुदालह नं0–34 का नाम कलमजद होना जरूरी है । आवेदन पत्र के अनुसार उनके बेटे मुदालह सं0 14 ध्रुप पांडेय, मुदालह सं0 15 नवल पाण्डेय व मुदालह सं0 16 कामेश्वर पाण्डेय तथा उनकी बेटी मुदालह सं0 17 लालसा देवी व मुदालह सं0 18 कांति देवी इस मुकदमा में पहले से ही मुदालह के रूप में प्रतिस्थापित हैं। आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है । अतः न्यायहित में प्रस्तुत आवेदन **स्वीकृत** करते हुए न्यायालय कार्यालय को आदेश देती है कि मृत मुदालह नं0–34 बबुनी देवी का नाम कलमजद करें। एतद द्वारा यह आवेदन का निपटारा किया जाता है। वाद दिनांक ....वास्ते अग्रिम कार्रवाई ।

लेखापित व संशोधित

13/01/25

(सिनियर डिविजन)
अवर न्यायाधीश
अरेराज,पूर्वी चम्पारण